उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ

रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551-2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872-252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर-खीरी

* उपाध्यक्ष गण *

हरदेव शर्मा
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

पुट्टी लाल यादव
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

* कोषाध्यक्ष *

अमलेश कुमार शर्मा
मो. 09837062257

* संगठन मंत्री गण *

कृष्ण कुमार सिंह
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

सुशील कुमार श्रीवास्तव
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

इफ्तखार अहमद
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

* आडीटर *

राज किशोर अवस्थी
मो. 09936642639

पत्रांक :   दिनांक 24.09.15

सेवा में,

मा0 मुख्यमंत्री महोदय,

उ0प्र0 शासन, लखनऊ

विषयः- प्रदेश के राजस्व लेखपालों का कैडर पूर्ववत जनपद स्तरीय रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए सादर अवगत कराऊँ कि देश के आजाद होने, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के पश्चात से प्रदेश के राजस्व लेखपाल का कैडर जनपद स्तरीय रहा है। लेखपाल एक अल्प वेतन भोगी कर्मी है। प्रत्येक लेखपाल को लेखपाल हल्कों, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र एवं एक तहसील में कार्य करने की अवधि पूर्व से शासन द्वारा निर्धारित है। तद्नुसार समय-समय पर स्थानान्तरण प्रक्रिया सम्पादित होती रही है।

उल्लेखनीय है कि समाचार पत्रों आदि के माध्यम से संस्था के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के राजस्व लेखपालों के जनपद स्तरीय विद्यमान कैडर को मण्डल स्तरीय कैडर करके मण्डलायुक्तों को स्थानान्तरण करने के अधिकार प्रदान करने हेतु माननीय कैबिनेट द्वारा निर्णय ले लिया गया है। इस सम्बन्ध में महोदय को सादर अवगत कराना है कि लेखपाल पद के वेतनमान के समकक्ष एवं उच्च वेतनमान के विभिन्न संवर्गो के कर्मियों का भी जनपद स्तरीय कैडर है। लेखपालों को पृथक से कोई सुविधायें प्रदत्त नहीं हैं। संवर्ग की विभिन्न लम्बित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 27.10.14 में सहमति के पश्चात् लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात भी राजाज्ञायें जारी नहीं की गयी हैं, और सम्भावित शोषण से युक्त वर्तमान निर्णय से संवर्ग हतप्रभ है।

शेष पृष्ठ 2 पर

ज्ञातव्य हो कि प्रदेश के मण्डलायुक्तों को स्थानान्तरण करने के अधिकार देने से संवर्ग के सदस्यों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन को संस्था के पत्र दिनांक 01.04.2015 द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया जा चुका है तथा महोदय को संस्था की उपशाखाओं (तहसीलों) एवं शाखाओं (जिलों) द्वारा उचित माध्यम ज्ञापन भी प्रेषित कर कैडर को यथावत रखने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अधिकांश जनप्रतिनिधियों द्वारा भी महोदय को लिखित रूप से जनपदीय कैडर रखने की अनुशंसा भी पूर्व में की गयी थी। उक्त सभी तथ्यों को अनदेखा करके एकपक्षीय निर्णय से संवर्ग में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अस्तु महोदय से विनम्र अनुरोध है कि संस्था के तर्कों एवं मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा मान्यवर को पूर्व **प्रेषित लिखित अनुशंसाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के राजस्व लेखपालों के जनपद स्तरीय कैडर को यथावत् रखने हेतु पुनर्विचार करके संस्था को अनुगृहीत करने की कृपा करें। यदि लेखपाल सेवा नियमावली-2006 के प्रख्यापित होने से पूर्व की व्यवस्था को सरकार द्वारा कर दिया जाता है तो संस्था को कोई प्रतिवाद नहीं होगा।**

संस्था के 32044 सदस्य एवं उनके परिवार महोदय के सदैव ऋणी रहेंगे।

न्याय की प्रत्याशा में।

सादर।

भवदीय

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामन्त्री

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. माननीय राजस्व मंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार लखनऊ।
2. माननीय मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद, लखनऊ।
4. माननीय प्रमुख सचिव(मा0 मुख्यमंत्री) महोदय उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5. माननीय प्रमुख सचिव महोदय (राजस्व) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
6. माननीय आयुक्त एवं सचिव महोदय राजस्व परिषद लखनऊ।

(अवधेश सिंह चौहान)
प्रदेश महामन्त्री